



कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक,
उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-10
Office of the CGDA,
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.-10



सं. प्रशा/3/3019/सृजन/हिन्दी अनुवादक

दिनांक: 07/09/2017

सेवा में,

र.ले.प्र.नि./प्र.ले.नि.(निर्माणी)/र.ले.नि.

विषय: रक्षा लेखा विभाग में हिन्दी पदों का सृजन।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सभी प्रधान नियंत्रक/नियंत्रक कार्यालयों से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी पदों के सृजन की आवश्यकता की जाँच करें तथा जरूरी हो तो अपने अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव मुख्यालय कार्यालय में दिनांक 09.10.2017 तक भेजें ताकि पूरे विभाग के लिए हिन्दी पदों के सृजन की कार्रवाई एक साथ की जा सके।

मार्गदर्शन हेतु राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिनांक 22.07.2004 के कार्यालय ज्ञापन सं. सं. 13035/3/95-रा.भा. (नीति एवं समन्वय) की प्रति सलंगन है।

कविता
(कविता गर्ग)

र.ल.व.उप महा नि. (प्रशा)

प्रतिलिपि:

1. सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रणाली विंग (स्थानीय) रक्षा लेखा महानियंत्रक की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. हिन्दी कक्ष (स्थानीय) सूचनार्थ।
3. रक्षा लेखा नियंत्रक राजेन्द्र पथ, पटना आपके दिनांक 19.04.2017 के अर्ध. शासकीय पत्र के सम्बन्ध में सूचनार्थ।

कविता
(कविता गर्ग)

र.ल.व.उप महा नि. (प्रशा)

कांज्ञा सं 13035/3/95-राभा (नीति एवं समन्वय), दिनांक 22.7.2004

विषय: केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन/कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी पदों के मानक पुनः निर्धारित करना।

केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पहली बार हिंदी पदों के मानक राजभाषा विभाग के दिनांक 27 अप्रैल, 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13035/3/80-राभा(ग) द्वारा परिचालित किए गए थे। ये मानक संशोधित करके दिनांक 5.4.1989 के कांज्ञा सं 13053/3/88-राभा(ग) द्वारा परिचालित किए गए थे। न्यूनतम हिंदी पदों के मानकों को और अधिक युक्तिसंगत पर बनाने पर विचार किया गया ताकि अनुवाद के साथ-साथ राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पद सृजित किए जा सकें। तदनुसार, अनुवाद और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी पदों के लिए निम्नलिखित मानक निर्धारित किए जाते हैं:-

1.1 मंत्रालयों/विभागों के लिए

- (i) प्रत्येक मंत्रालय तथा स्वतंत्र विभाग में, जिसका पूर्णकालिक सचिव हो, एक सहायक निदेशक (राजभाषा)।
- (ii) प्रत्येक ऐसे मंत्रालय या विभाग में जहां 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी हैं, या जिसके अंतर्गत 4 या 4 से अधिक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय या उपक्रम ऐसे हैं जिसमें हर एक में 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी हैं, एक वरिष्ठ हिंदी अधिकारी अर्थात् उप-निदेशक (राजभाषा)। राजभाषा विभाग के दिनांक 13.4.1987 के कांज्ञा सं 13017/1/81-राभा(ग) में निर्धारित नार्मस को ध्यान में रखते हुए यह पद सहायक निदेशक के पद के बदले या उसके अतिरिक्त हो सकता है। मंत्रालय/विभाग में कार्य के स्वरूप और कार्य की मात्रा के आधार पर 12000-16500/- रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) (इसी वेतनमान में पहले निदेशक) का पद बनाया जा सकता है।
- (iii) 50 से कम अनुसचिवीय कर्मचारियों पर एक कनिष्ठ अनुवादक, 50 से 100 अनुसचिवीय कर्मचारियों पर 2 कनिष्ठ अनुवादक, 101 से 150 अनुसचिवीय कर्मचारियों पर 3 अनुवादक, 151 या इससे अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी होने पर 3 कनिष्ठ अनुवादक तथा एक वरिष्ठ अनुवादक।

1.2 संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए

- (i) 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले प्रत्येक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय में एक हिंदी अधिकारी [सहायक निदेशक, (राजभाषा)]।
- (ii) (क) 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए (रक्षा सेनाओं और अर्ध सैनिक बलों कार्यालयों को छोड़कर)-18 से 125 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक कनिष्ठ अनुवादक, 126 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए दो-कनिष्ठ अनुवादक।

(ख) 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए

- (1) 18 से 75 तक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक कनिष्ठ अनुवादक। 76 से 125 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालयों के लिए दो कनिष्ठ अनुवादक। 126 से 175 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय के लिए तीन कनिष्ठ अनुवादक। 175 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय के लिए तीन कनिष्ठ अनुवादक तथा एक वरिष्ठ अनुवादक।
- (2) रक्षा सेनाओं और अर्ध सैनिक बलों के 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों पर भी, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं, यही मानक लागू होंगे।
- (3) 'ख' व 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे सभी कार्यालयों में जहां कम से कम 25 अनुसचिवीय कर्मचारी हों, एक हिंदी टाइपिस्ट का पद दिया जाए। 'क' क्षेत्र में नए खोले जाने वाले कार्यालयों में भी यदि कम से कम 25 अनुसचिवीय कर्मचारी हों तो एक हिंदी टाइपिस्ट पद दिया जाए। 'क' क्षेत्र में स्थित रक्षा सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के कार्यालयों, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं, में भी वही मानक लागू होंगे।

1.3 मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अन्य पद:-

- (i) अनुवाद के अलावा अन्य कई प्रकार का कार्य ऐसा है जो राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जैसे आदेशों का परिचालन करना, प्रगति रिपोर्ट बनाना, हिंदी सलाहकार समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की कार्यसूची व कार्यवृत्त तैयार करना, कर्मचारियों को हिंदी सीखने के लिए नामित करना, कार्यशालाओं का आयोजन करना आदि। मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में इस कार्य के लिए निम्नलिखित पदों की अनुशांसा की जाती है:-

- (क) अवर श्रेणी लिपिक (हिंदी टाइपिस्ट) का एक पद यह पद पहले से अस्तित्व में है जैसाकि राजभाषा विभाग के दिनांक 5.4.1989 के कांज्ञा सं 13035/3/88-राभा(ग) में उल्लिखित है।

(ख) सहायक का एक पद, उन मंत्रालयों/विभागों में तथा सहायक या उसके समकक्ष पद उन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में, जहां अनुसचिवीय कर्मचारियों की संख्या (ग्रुप 'डी' को छोड़कर) कम से कम 310 है।

(ii) यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जहां उक्त कार्यों के लिए सहायक या समकक्ष पद पहले से स्वीकृत है, वहां अतिरिक्त पद अनुशंसित न किया जाए।

2. 'अनुसचिवीय कर्मचारियों, से सभी कर्मचारियों से (श्रेणी 'घ' के कर्मचारियों को छोड़कर) है जिनके पद लिपिक वर्गीय कार्यों के लिए मंजूर किए गए हैं भले ही वे तकनीकी या वैज्ञानिक कर्मचारी या अधिकारी हों। इसके अतिरिक्त जिन तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारियों/अधिकारियों को अनुसचिवीय कार्य (जैसे टिप्पण, प्रारूपण, पत्र लेखन, लेखाकरण आदि) सौंपा गया है उनको भी हिंदी पदों की गणना में शामिल किया जाए।

3. इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में हिंदी पदों की जो संख्या निर्धारित की गई है वह न्यूनतम है ताकि इनकी व्यवस्था, बिना कार्य अध्ययन के, केवल कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या और कार्यालय किस क्षेत्र में स्थित है, के आधार पर की जाए ताकि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल असर न पड़े। काम की मात्रा और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्यालय में इससे अधिक पदों का यदि औचित्य हो तो उनका सृजन कार्य अध्ययन के आधार पर किया जा सकता है।

4. कार्य अध्ययन करते समय उसी कार्य को ही ध्यान में न लिया जाए जो इस समय किया जा रहा है बल्कि वे कार्य की सारी मंदा हिस्साब में ली जाए जो राजभाषा अधिनियम, नियम, वार्षिक कार्यक्रम आदि की अपेक्षाओं के अनुसार हिंदी में या दोनों भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में किए जाने जरूरी हैं। कहना न होगा कि कार्य अध्ययन कार्यभार की मात्रा का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करके ही किया जाना चाहिए न कि तदर्थ आधार पर।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन कार्यालयों में अनुवादक आदि के पद पूर्व के मानकों के आधार पर पहले से सृजित किए जा चुके हैं उन्हें इस आधार पर समाप्त नहीं किया जाएगा कि संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित संख्या से वे अधिक हैं। तथापि, कोई भी अतिरिक्त मांग मंत्रालय/विभाग तथा उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय में समग्र रूप से फालतू पाए जाने वाले पदों से समायोजित की जाएं।

6. केंद्रीय सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद करने के लिए अनुवाद कार्य की मात्रा के आधार पर आवश्यक पदों का सृजन किया जाना चाहिए और इसके लिए न्यूनतम पदों का कोई मानदंड बनाने की आवश्यकता नहीं है।

7. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित पदों के सृजन के संबंध में इस कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित मानक और राजभाषा विभाग के दिनांक 13 अप्रैल, 1987 के कां० सं० 13017/1/81-रा०भा०(ग) (प्रति संलग्न) में पहले से निर्धारित अनुवाद संबंधी कार्यभार के मानक मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे।

8. यह कार्यालय ज्ञापन निदेशक, (कर्मचारी निरीक्षण एकक) वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी दिनांक 26.12.2003 की अन्तर्विभागीय टिप्पणी सं० 526/एस०आई०यू०/2003 में दिए गए अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कां० सं० 13035/5/92-रा०भा०(ग), दिनांक 27.8.1992

विषय: केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन/कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी के पदों के सृजन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 27.4.1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-13035/3/80-रा०भा०(ग) के पैरा-4 में यह कहा गया है कि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के 6 जुलाई, 1979 के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ-7 (2)-ई०-समन्वय/79 तथा 7 दिसंबर, 1979 के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ-17 (18)ई०-समन्वय/79 द्वारा सभी योजना-भिन्न (नान-प्लान) नए पदों के सृजन पर सामान्य रोक लगा दी गई थी और ये निदेश दिए गए थे कि ऐसे पदों के सृजन पर होने वाले खर्च के बदले में बराबर की बचत दिखाई जाए। परंतु, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के ही 3 अक्टूबर, 1979 के कार्यालय ज्ञापन सं० 7(16)-ई०-समन्वय/79 द्वारा, अन्य पदों के साथ-साथ, सांविधिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक पदों को उक्त सामान्य बैन से मुक्त-कर दिया गया है। यह छूट सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन/कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पदों के सृजन पर भी लागू है। अतः मंत्रालय आदि उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनतम हिंदी के पदों के सृजन के लिए आवश्यक प्रस्ताव बना सकते हैं।

(2) इस संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 13035/4/88-रा०भा०(ग) दिनांक 12.7.88 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 10(4)-ई०(समन्वय)/85 दिनांक 8.6.1988 उल्लेख किया गया है और जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रस्तावों पर जहां राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए पद सृजित करने का मामला हो, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव संबंधित वित्तीय सलाहकार के परामर्श से तथा इस संबंध में वित्त मंत्रालय के परामर्श से राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए तथा जारी किए गए मार्गदर्शी निदेशों के अनुसार शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। उनके इस स्पष्टीकरण के अनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त निदेशों को सभी के ध्यान में लाया जाए।